

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में मेसर्स अर्शिया लिमिटेड- सेज़ के मल्टी सेक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन र

Minutes of the 162nd Meeting of the Approval Committee for Multi Sector Special Economic Zone of M/s. Arshiya Limited-SEZ under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ- SEZ held on 25.11.2024, at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

1. सेज़ का नाम : मेसर्स अर्शिया लिमिटेड
2. सेक्टर : मल्टी सेक्टर
3. मीटिंग नंबर : 162 वीं
4. दिनांक : 25.11.2024

उपस्थित सदस्य/आमंत्रित: Present Members/Invitees :

Sr. No.	Name of Members	Designation	Organization
1	श्री. सी. पी. एस. चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	संयुक्त. विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner,	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ.
2	श्री. लीडर पणिकर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai.
3	श्री. हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai.
4	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Dharade	उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC of Industries, Government of Maharashtra.
5	श्रीमती मीरा रामकृष्णन. Smt. Meera Ramkrishnan.	सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त Assistant Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar, Mumbai.
6	डॉ. प्रसाद वरवंटकर Dr. Prasad Varwantkar	उप विकास आयुक्त, सीपज़-एसईजेड एवं निर्दिष्ट अधिकारी Dy. Development Commissioner, SEEPZ-SEZ and Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ, माइंडस्पेस-एसईजेड, कैपजेमिनी-एसईजेड , मेसर्स. अर्शिया लिमिटेड- सेज़ के मल्टी सेक्टर Mindspace-SEZ, Capgemini-SEZ, Arshiya FTWZ

विशेष आमंत्रित सदस्य:-

Special Invitee:

बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री जी.एस. भंडारी, एडीसी (न्यू एसईजेड) श्री मनीष कुमार, एडीसी (न्यू एसईजेड) और श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू एसईजेड) भी उपस्थित थे।

Smt. Rekha Nair, ADC (New SEZ), Shri. G.S. Bhandari, ADC (New SEZ) Shri. Manish Kumar, ADC (New SEZ) & Shri. Hanish Rathi, ADC (NEW SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

कार्यसूची मद संख्या 007.08.2024 : 1 को आयोजित 161 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

Agenda Item No. 1: Confirmation of Minutes of the 161st meeting held on 07.08.2024.

दिनांक 07.08.2024 को आयोजित 161 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

The Minutes of the 161st Meeting held on 07.08.2024 were confirmed with consensus.

कार्यसूची मद संख्या एलओए जारी : 02 होने के छह महीने के भीतर एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा पंजीकृत लीज डीड जमा करने में विफलता के लिए एर्जेडा

Agenda Item No. 02: Agenda for failure to submit Registered Lease Deed by FTWZ within six months from the issuance of the LOA.

निम्नलिखित इकाइयों ने आज तक डीसी कार्यालय में पंजीकृत लीज डीड जमा नहीं की है।

Following Units have/haven't submitted the Registered Lease Deed to DC office till date.

No.	Name of the Unit	LOP No. & Date	Date of Commencement	LOA validity	Remark
1	Vipul Organic Limited	SEEPZ/NEWSEZ/Arshiya-Raigad/23/LOA-16/2010-11/10029	04/01/2012	03/01/2027	Letter dated 23.09.2024 from DC office was sent to the said units to submit registered lease deed.
2	Associate Allied Chemicals (India) Pvt. Ltd.	SEEPZ/NEWSEZ/ARSHIYA-RAIGAD/188/2020-21	10/08/2021	09/08/2026	
3	Seaways Supply Chain Pvt. Ltd.	SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/Arshiya-Raigad/123/2016-17	10/10/2017	09/10/2022	
4	Kingsignal Technologies (India) Pvt. Ltd.	SEEPZ/NEWSEZ/ARSHIYA-RAIGAD/155/2017-18	29/10/2018	28/10/2023	
5	Monika Enterprises	SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/ARSHIYA-RAIGAD/116/2015-16/18499	09/03/2016	08/03/2026	
6	Globizz Synergy Pvt. Ltd.	SEEPZ/NEWSEZ/Arshiya-Raigad/184/2020-21	19/03/2021	18/03/2026	

निम्नलिखित इकाइयों ने भी पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत करने की समय-सीमा में विस्तार का अनुरोध किया है।

The following units has also requested for extension in time limit for submission of registered lease deed.

मैसर्स. राइजिंग इंडिया :

दिनांक 27.09.2024 के मेल द्वारा मै. राइजिंग इंडिया ने कहा है कि अर्शिया लाइफस्टाइल लिमिटेड (सह-डेवलपर) और

M/s. Rising India :

Vide mail dated 27.09.2024, M/s. Rising India has stated that due to an ongoing dispute

एसेंडास/कैपिटालैंड के बीच चल रहे विवाद के कारण, लीज डीड between Arshiya Lifestyle Ltd. (the co-developer) के आवश्यक निष्पादन और पंजीकरण में देरी हुई है। इस विवाद ने and Ascendas/CapitaLand, the necessary कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा execution and registration of the lease deed has कर दी है और निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर पट्टा been delayed. This dispute has created a समझौते को अंतिम रूप देना असंभव बना दिया है। significant obstacle in completing the legal formalities and has made it impossible for them to finalize the lease agreement within the

इसके अलावा, यूनिट ने तब तक विस्तार या कोई अन्य stipulated six-month period. वैकल्पिक समाधान प्रदान करने का अनुरोध किया है जब तक कि वे लीज डीड को निष्पादित करने और पंजीकरण की आवश्यकता Further, the Unit has requested to provide को पूरा करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं और इसमें शामिल पक्षों के extension or any other alternative solution until बीच स्थिति का समाधान होते ही सभी आवश्यक औपचारिकताओं they are able to execute the lease deed and fulfill का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। the registration requirement and has committed to complying with all the necessary formalities as soon as the situation between the parties involved is resolved.

मैसर्स. EEPSITA शिपिंग प्रा. लिमिटेड :

दिनांक 15.10.2024 के मेल द्वारा मै. EEPSITA शिपिंग प्रा.

लिमिटेड ने लीज डीड जमा करने के लिए छह महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा यूनिट ने कहा है कि अर्शिया लाइफस्टाइल लिमिटेड (सह-डेवलपर) और एसेंडास/कैपिटालैंड के बीच चल रहे विवाद के कारण, लीज डीड के आवश्यक निष्पादन और पंजीकरण में देरी हुई है। इस विवाद ने कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा कर दी है और निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर पट्टा समझौते को अंतिम रूप देना असंभव बना दिया है।

M/s. EEPSITAA Shipping Pvt. Ltd. :

Vide mail dated 15.10.2024, M/s. EEPSITAA Shipping Pvt. Ltd. has requested for extension of six months to submit the lease deed. Further the unit has stated that due to an ongoing dispute between Arshiya Lifestyle Ltd. (the co-developer) and Ascendas/CapitaLand, the necessary execution and registration of the lease deed has been delayed. This dispute has created a significant obstacle in completing the legal formalities and has made it impossible for them to finalize the lease agreement within the stipulated six-month period.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया तथा डीलिंग अनुभाग को निर्देश दिया कि वे डेवलपर से टिप्पणियां प्राप्त करें तथा निर्णय के लिए अनुमोदन समिति की अगली बैठक में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।

Decision: After deliberation, the Committee deferred the proposal and directed to the dealing section to get the comments from Developer and resubmit the proposal in next meeting of Approval Committee for decision.

तालिका एजेंडा : मेसर्स किंगसिग्नल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एसईजेड से बाहर निकलने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ इकाई ने 20.09.2023 को एसईजेड योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और एसओ/अर्शिया ने इकाई को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया है। अनुमोदन समिति द्वारा इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की गई थी। इस डीसी कार्यालय ने डेवलपर से इकाई को एनओसी जारी करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, डेवलपर से एनओसी अभी भी प्रतीक्षित है और इकाई लगातार डीसी कार्यालय से उन्हें निकास आदेश जारी करने के लिए आग्रह कर रही थी, इसलिए निर्णय के लिए प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

Table Agenda: Application received from M/s. Kingsignal Technologies India Private Limited. For exit from SEZ

The unit has submitted application for exit from SEZ scheme on 20.09.2023 and SO/Arshiya had issued No Dues Certificate to the unit. The performance of the unit was also monitored by the Approval Committee. This DC office had requested Developer to issue NOC to the unit. However, NOC from Developer is still awaited and the unit was continuously insisting DC office to issue them exit Order therefore the proposal was submitted before the Approval Committee for decision.

निर्णय: समिति ने पाया कि डेवलपर से लिखित संचार और समयबद्ध अनुस्मारक के बावजूद कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि डेवलपर से एनओसी के अभाव में उक्त इकाई को बाहर निकलने के लिए इंतजार नहीं कराया जा सकता। विचार-विमर्श के बाद, समिति ने डेवलपर से एनओसी के अभाव में इकाई के बाहर निकलने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का फैसला किया।

Decision: The Committee observed that no reply is coming forward from the Developer inspite of written communication followed by time bound reminder. Therefore, it was decided that the said unit cannot be made to wait for exit in absence of NOC from the Developer. After deliberation, the Committee decided to proceed with the proposal

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

of exit of the unit in absence of NOC from the Developer.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर पाटील, आईएस)
विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़